दिनांक-20.10.2010

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिक्षेत्र अलीगढ

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा-4(1)बी में अपेक्षित 17 बिन्दुओं से सम्बन्धित विन्दुबार सूचना अलीगढ परिक्षेत्र अलीगढ।

बिन्दु संख्या	बिन्दु का विवरण	आख्या
1.	अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य व कर्तव्य:	परिक्षेत्र के जनपद अलीगढ, एटा, कांशीराम नगर एवं महामाया नगर में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार सेल/कमेटी गठित की गयी है, जनपदीय स्तर पर इनके नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त है और वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से आवेदकों को उनके द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय तथा परिक्षेत्र स्तरीय समस्त प्रकार की सूचनायें नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रदान की जाती है, साथ ही किसी आवेदक की दृष्टि में परिक्षेत्र के जनपद से मॉगी गयी सूचना अपूर्ण प्रतीत होती है तो परिक्षेत्र स्तर पर उनके अपीलीय आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक एवं सम्बन्धित नोडल जन सूचना अधिकारी को नियत दिनांक पर परिक्षेत्र कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र भेजकर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तथा दोनो पक्षों को सुनने एवं प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है । अर्थात सूचना यदि देय है तो दिये जाने का आदेश पारित किया जाता है और यदि प्रकटीकरण की छूट के अन्तर्गत होने के कारण देय न होने की स्थिति में उन्हे लिखित रूप से अवगत कराया जाता है।

2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाॅ और कर्तव्य:	जनपद स्तर पर जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के आवेदन पत्रों पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के नोडल अधिकारी जन सूचना नियुक्त हैं। जनपद स्तर पर पुलिस विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय सूचनायें नोडल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। उनकी सहायता के लिये उनके अधीनस्थ समस्त पुलिस उपाधीक्षक/सहायक जन सूचना अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है जो अपने थानों से सम्बन्धित सूचनायें संकलित कर नोडल अधिकारी को समय से उपलब्ध कराते है।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरादायित्व के माध्यम सम्मिलित है	परिक्षेत्र के जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को यह दायित्व सौपा गया है कि अपने निकट पर्यवेक्षण में यह सुनिश्चित करें कि उनके नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरश: पालन कर रहे है और आवेदकों को नियमानुसार समयान्तर्गत अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में दिये गये आदेशों/निर्देशों के अनुसार पालन किया/कराया जा रहा है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन कें लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है व प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क सम्बन्धित मद में नियमानुसार जमा कराया जा रहा है तथा नियमानुसार आवेदकों/अपीलकर्ताओं को माॅगी गयी सूचना/अभिलेख आदि उपलब्ध कराये जा रहें है।
6.	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	परिक्षेत्र के जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का प्रचार प्रसार करें तथा पुलिस विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों से सम्बन्धित नियमानुसार देय सूचनायें उपलब्ध करायें तथा यदि सूचना प्रकटीकरण की छूट के अन्तर्गत आती है तो

10.		भी स्पष्ट रूप से आवेदको को अवगत कराया जाना अनिवार्य है।
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	परिक्षेत्र के जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का प्रचार प्रसार करें ताकि समस्त नागरिक पुलिस विभाग से सम्बन्धित सूचनायें सुगमता से प्राप्त कर सकें।
8.	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो परिषदो, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यव्रत्त तक जनता की पहुॅच होगी विवरण	शून्य
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	परिक्षेत्र के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आदेशों/निर्देशों से अपने अधीनस्थ नोडल अधिकारी/जन सूचना तथा अन्य सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को गस्ती आदेश के द्वारा तथा मासिक गोष्ठी में अधिनियम के प्रावधानों अवगत कराने तथा उन्हें ब्रीफ करने के साथ-साथ अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।
10.	अपने प्रत्येक	परिक्षेत्र के जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल में

	अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों यथा उपबन्धित हों	से ही नियतन के आधार पर ही सभी शाखाओं/प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट:	शून्य
12.	सहायिकी कार्यक्रम के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है:	शून्य
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ:	शून्य
14.	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित है:	कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं के लिये अलग से कम्प्यूटर उपलब्ध न होने के कारण प्रदान की गयी सूचनाओं को इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में निबद्ध नही किया जा सका है। प्रदान की गयी सूचनायें फायल में रखी जा रही है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तों कार्यकरण घंटे सम्मिलित है:	सूचना अधिकार प्रकोष्ठ अलग से गठित नही है बल्कि यह कार्य वर्तमान में वाचक शाखा द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है तथा नागरिकों द्वारा मॉगी जाने वाली सूचनायें समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है तथा अपीलकर्ताओं द्वारा की जाने वाली अपीलों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम ,पदनाम और	परिक्षेत्र के अपीलीय अधिकारी एवं जनपद वार नोडल जन सचना अधिकारी और उनके फोन

	अन्य विशिष्टियॉ:	नं0 निम्नवत है- पुलिस उपमहानिरीक्षक/प्रथम अपीलीय अधिकारी अलीगढ परिक्षेत्र अलीगढ मो0नं0- 9454400392 1- अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी जन सूचना जनपद अलीगढ मो0नं0-9454401011 2-अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी जन सूचना एटा मो0नं0-9454401041 3- अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी जन सूचना जनपद-कांशीरामनगर मो0नं0-9454401042 4- अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी जन सूचना जनपद महामाया नगर मो0नं0-9454401064
17.	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा	शून्य